न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 12 / 2018 जिला अलवर

1. उदलराम पुत्र पून्या
2. मंगल पुत्र पून्या
3. मनोज पुत्र गिर्राज प्रसाद
4. सवित्री पत्नी गिर्राज प्रसाद
5. योगेश पुत्र भगवान सहाय
6. जितेन्द्र पुत्र भगवान सहाय
7. राजकुमार पुत्र भगवान सहाय
8. माया देवी बेवा भगवान सहाय
9. नरेश पुत्र पांचूराम
10. सुरेश पुत्र पांचूराम
11. धन्नी बेवा मोती लाल
12. फूल पुत्र लाल्या
13. हरी पुत्र लटूर
14. राधा पत्नी गिरधारी
15. पूरण पुत्र गुलाब
16. लाली देवी पत्नी सपरी
17. बोदन पुत्र झम्मन
18. विष्णु पुत्र भैरू
19. कैलाश पुत्र सूक्का
20. श्याम लाल पुत्र हट्टीराम
21. धीर सिंह पुत्र छुटकन जाति राजपूत
22. शिवदयाल पुत्र तेजीराम कौम कीर

निवासी ग्रम गोविन्दगढ, जिला अलवर

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गोविन्दगढ, तहसील गोविन्दगढ, जिला जयपुर ।
2. उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला अलवर
3. बाबू लाल पुत्र रामखिलाडी
4. कैलाश पुत्र पृथ्वी
5. रामपाल पुत्र पृथ्वी
6. सोहन लाल पुत्र पृथ्वी

समस्त जाति मीणा, निवासी ग्रम गोविन्दगढ, तहसील गोविन्दगढ, जिला अलवर ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला अलवर दिनांक 17.5.2018

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपस्थित–
1. वकील अपीलान्ट श्री ज्ञानेश्वर बाढदार
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री विजय सिंह राठौड
3. राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक– 16.10.2018

यह प्रथम अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला अलवर के निर्णय दिनांक 17.5.2018 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि तहसीलदार (भू.अ.) गोविन्दगढ, जिला अलवर ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 बहैसियत भू अभिलेख अधिकारी, तहसील गोविन्दगढ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला अलवर के समक्ष प्रस्तुत कर ग्रम गोविन्दगढ की आराजी खसरा नम्बर 319/1 में से रकबा 0.01 व 318 में से 0.02 बीघा, कुल 0.03 बीघा भूमि को राजस्व रेकार्ड में भूमि किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किये जाने का अनुरोध किया गया ।

तहसीलदार गोविन्दगढ, जिला अलवर के उक्त प्रार्थना पत्र पर उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला अलवर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.5.2018 को पारित किया गया कि '' प्रकरण को आज दिनांक 17.5.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार शिविर ग्रम पंचायत मुख्यालय गोविन्दगढ में रखा गया । अप्रार्थी नं. 1 उदल उपस्थित आया । शेष अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं आये । तहसीलदार व अप्रार्थी को सुना गया । प्रकरण की मजमेआम में जॉच की गई । रिकार्ड का अवलोकन किया गया । तहसीलदार भूमिधारी के प्रार्थना पत्र अनुसार खसरा नम्बर 319/1 में से रकबा 0.01 व 318 में से 0.02, कुल रकबा 0.03 एयर में मौके पर मन्दिर हेतु रास्ता उपयोग में आ रही है इसलिये ऐसी भूमि में सार्वजनिक हित निहित होने के कारण आमजन के हितों को मद्देनजर रखते हुये राजस्थान भू राजस्व (भू अभिलेख) नियम 131 के तहत उक्त आराजी को आम रास्ता दर्ज किया जाना न्यायोचत प्रतीत होता है । अतः तहसीलदार गोविन्दगढ को आदेश दिये जाते हैं कि ग्रम गोविन्दगढ की आराजी खसरा नम्बर 319/1 में से रकबा 0.01 व 318 में से 0.02 कुल रकबा 0.03 एयर भूमि जो मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही है, को नजरी नक्शे अनुसार नक्शे में तरमीम कर पृथक से खसरा नम्बर कायम कर राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज किया जावे तथा रास्ते की आराजी से वर्तमान खातेदारों के नाम कलमजन किये जावे''।

उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला अलवर के उक्त निर्णय दिनांक 17.5.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला अलवर दिनांक 17.5.2018 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि कस्बा गोविन्दगढ में स्थित आराजी खसरा नम्बर 318 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा व खसरा नम्बर 319 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा के

अपीलान्ट व दीगर लोग अन्य भूमि के साथ खातेदार काश्तकार है । खसरा नम्बर 318 बारानी व 319 बारानी अलिफ है जिनमें कोई रास्ता दर्ज नहीं रहा है । उक्त खसरा नम्बर के पूर्वी तरफ स्थित खसरा नम्बर 320 में आम रास्ता है और सडक बनी हुई है । उनका कहना था कि खसरा नम्बर 318 की भूमि में अपीलार्थी संख्या 5 से 8 जो भगवान सहाय के वारिस है, के मकानात बने हुये हैं ओर जो 2 ऐयर भूमि में गैर मुमकीन रास्ता कायम किया है उसमें अपीलान्ट के मकान आ जाते हैं तथा खसरा 319 की भूमि कृषि योग्य भूमि है । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी संख्या 1 को दिनांक 17.5.2018 के राजस्व कैम्प का जब नोटिस दिया उससे पूर्व का कोई नोटिस नहीं दिया था तो उस दिन अपीलार्थी संख्या 1 को दिनांक 19.7.2018 तारीख पेशी बतलाई गई थी क्योंकि प्रकरण बहस हेतु नियत नहीं था । आदेशिका दिनांक 5.4.2018 से भी सिद्ध है कि अपीलान्ट संख्या 1 के जवाब के लिये व अन्य खातेदारों की तलबी के लिए प्रकरण में दिनांक 17.5.2018 नियत थी । मुख्य कथन है कि दिनांक 17.5.2018 को उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ श्री योगेश कुमार डागुर ने अपना स्थानान्तरण होने के पश्चात् अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो सर्वथा सरासर गलत एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय के तारीख पेशी मुमकदमात रजिस्टर के कालम संख्या 7 पर अपीलार्थी के मुकदमें का उनवान दर्ज कर तारीख पेशी 19.7.2018 अंकित की थी, लेकिन उस पर ओवरराईटिंग करके निर्णय कैम्प दर्ज किया गया है , जो अवैधानिक एवं न्याय की मंशा के विपरीत है । उनका कहना था कि धारा 131, 132 व 136 का हवाला देते हुये अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश से गैरमुमकीन रास्ता कायम किया है जबकि इन धाराओं में गैर मुमकीन रास्ता कायम करने का कोई प्रावधान नहीं है , धारा 131 भू राजस्व अधिनियम में जो प्रावधान है वह सर्वे रिकार्ड, फिल्ड बुक, मैप आदि को मेन्टेन करने का है ओर धारा 132 भू राजस्व अधिनियम में एन्युअल रजिस्टर मेनटेन करने का राजस्व अधिकारी को अधिकार प्रदत्त कर रखा है ओर धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत केवल लिपिकीय त्रुटियों को ही दुरूस्त करने का प्रावधान है । अधीनस्थ न्यायालय ने खातेदारों की खातेदारी भूमि में नये सिरे से गैर मुमकीन रास्ता कायम करने का अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी त्रुटि की है । उनका कहना था कि तहसीलदार ने दिनांक 11.7.17 को उप खण्ड अधिकारी को विवादित भूमि में से गैरमुमकीन रास्ता कायम करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जबकि पटवारी ने जो प्रस्तावित रास्ते का नक्शा प्रस्तुत किया है वह दिनांक 20.6.2016 का है अर्थात एक साल पूर्व ही रास्ता दर्ज करने की नियत तहसील के कार्मिकों की रही है । इससे सिद्ध है कि राजनैतिक दबाव के कारण अपीलान्ट्स को हानि पहुँचाने की नियत से अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधिसम्यक नहीं है । उनका कहना था कि तहसीलदार ने आदेशिका में जो नोटिसों का हवाला दिया है उनमें अप्रार्थी संख्या 8 रूपनारायण पुत्र लाल्या मरा हुआ था ओर अप्रार्थी संख्या 16 मंगली बेवा रूग्गन, अप्रार्थी संख्या 18 बत्तन बेवा हट्टीराम भी मर चुके थे , अप्रार्थी संख्या 24 कन्हैया पुत्र नत्थु को भी मरे हुये 10 साल से अधिक समय हो चुका है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश मृत व्यक्तियों के खिलाफ पारित किया है, जो सरासर अवैधानिक होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे ।

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्रम गोविन्दगढ की जमाबन्दी संवत 2072 –75 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 318 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा , भूमि वर्गीकरण के अनुसार बारानी ए 7 बीघा 9 बिस्वा एवं गैर मुमकीन मन्दिर 1 बिस्वा बाबू लाल रामखिलाडी वगैहरा की गैर

चित्रा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

खातेदारी एवं आराजी खसरा नम्बर 319/1 रकबा 4 बीघा 8 स्विा भूमि वर्गीकरण बारानी अलीफ उदलराम मंगल वगैहरा के नाम गैर खातेदारी दर्ज रिकार्ड है तथा खसरा नम्बर 318 में 1 बिस्वा गैर मुमकीन मन्दिर दर्ज रिकार्ड है । यह मन्दिर सीतला माता जी का पुराना मन्दिर बना हुआ है । उनका कहना था कि जमाबन्दी 2072–75 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 320/1 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा गैर मुमकीन सडक के नाम दर्ज है । उनका कहना था कि तहसीलदार द्वारा गिरदावरी संवत 2072–75 के अनुसार उक्त आराजी में से 3 बिस्वा मन्दिर हेतु रारस्ते में काम आने के लिये नियमों के अनुसार प्रस्ताव उप खण्ड अधिकारी को भिजवाये थे । उप खण्ड अधिकारी का दिनांक 17.5.2018 को स्थानान्तरण हो गया था, लेकिन वे चार्ज मुक्त नहीं हुये थे इसलिये अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जिसमें कोई अवैधानिकता नहीं है । उनका कहना था कि अधिकांश पत्रावलियों में दिनांक 19.7.2018 की तारीख पेशी नियत थी इसलिये सहवन से इस प्रकरण में भी यही तारीख पेशी अंकित हो गई जिसे तुरन्त तारीख पेशी की जगह निर्णय अंकित कर दिया गया था । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय ने मन्दिर जाने आने के लिये जनहित में तहसीलदार की सिफारिश के आधार पर गैर मुमकीन रास्ता कायम करने हेतु अपीलाधीन आदेश पारित किया है , जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपीलाधीन आदेश को यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद ग्रम गोविन्दगढ की आराजी खसरा नम्बर 319/1 में से रकबा 0.01 व 318 में से 0.02 कुल रकबा 0.03 एयर अपीलान्ट्स की गैर खातेदारी की भूमि में से अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला अलवर द्वारा अपीलाधीन आदेश से गैरमुमकीन रास्ता कायम करने संबंधी है । तहसीलदार गोविन्दगढ, जिला अलवर द्वारा विवादित भूमि में से गैरमुमकीन रास्ता कायम किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला अलवर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.5.2018 से तहसीलदार भूमिधारी के प्रार्थना पत्र अनुसार खसरा नम्बर 319/1 में से रकबा 0.01 व 318 में से 0.02 कुल रकबा 0.03 एयर में मौके पर मन्दिर हेतु रास्ता उपयोग में आने से भूमि में सार्वजनिक हित निहित होने के कारण आमजन के हितों को मद्देनजर रखते हुये राजस्थान भू राजस्व (भू अभिलेख) नियम 131 के तहत उक्त आराजी को आम रास्ता दर्ज किया जाना न्यायोचत मानते हुये तहसीलदार गोविन्दगढ को आदेश दिये गये कि ग्रम गोविन्दगढ की आराजी खसरा नम्बर 319/1 में से रकबा 0.01 व 318 में से 0.02 कुल रकबा 0.03 एयर भूमि जो मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही है को नजरी नक्शे अनुसार नक्शे में तरमीम कर पृथक से खसरा नम्बर कायम कर राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज किया जावे तथा रास्ते की आराजी से वर्तमान खातेदारों के नाम कलमजन किये जावे ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला अलवर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.5.2018 को ग्रम पंचायत मुख्यालय गोविन्दगढ पर न्याय आपके द्वार शिविर में उभयपक्षों की बहस सुनी जाकर पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय के तारीख पेशी मुकदमात रजिस्टर की प्रमाणित प्रति के अनुसार क्रम संख्या 7 पर दर्ज प्रकरण सरकार बनाम उदलराम में आगामी पेशी के कॉलम में ओवर राईटिंग करके निर्णय अंकित किया गया है जबकि अन्य प्रकरणों में तारीख पेशी 19.7.2018 अंकित है । इससे अधीनस्थ न्यायालय की मंशा न्यायिक प्रतीत नहीं होती । अपीलान्ट्स के अधिवक्ता का कथन कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष

अप्रार्थी संख्या 8 रूपनारायण पुत्र लाल्या मरा हुआ था ओर अप्रार्थी संख्या 16 मंगली बेवा रूग्गन, अप्रार्थी संख्या 18 बत्तन बेवा हट्टीराम भी मर चुके थे , अप्रार्थी संख्या 24 कन्हैया पुत्र नत्थु को भी मरे हुये 10 साल से अधिक समय हो चुका है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश मृत व्यक्तियों के खिलाफ पारित किया है । अपीलान्टस उक्त खसरा नम्बर के पूर्वी तरफ स्थित खसरा नम्बर 320 में आम रास्ता होना और सडक बनी हुई होना तथा खसरा नम्बर 318 की भूमि में अपीलार्थी संख्या 5 से 8 जो भगवान सहाय के वारिस है, के मकानात बने हुये होना ओर जो 2 ऐयर भूमि में गैर मुमकीन रास्ता कायम किया है उसमें अपीलान्ट के मकान बने होना तथा खसरा 319 की भूमि कृषि योग्य भूमि होना बताया गया है । अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 5.4.2018 के अनुसार पत्रावली वास्ते जवाब अप्रार्थी न. 1 व वास्ते तामील दिनांक 17.5.2018 को नियत की थी । इसके बाद दिनांक 24.4.2018 को प्रकरण लोक अदालत गोविन्दगढ में दिनांक 17.5.2018 को रखा गया तथा 17.5.2018 को बहस सुनकर निर्णय कर दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कुछ पक्षकार फौत होना बताया गया है , जिनके वारिसान को रिकार्ड पर लिये बिना , सभी पक्षकारों को बिना सुने, बिना विधिवत प्रक्रिया अपनाये अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधिक नहीं है । हम समझते हैं कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में मृतक पक्षकारों के वारिसान को रेकार्ड पर लेकर, प्रभावित एवं हितबद्ध उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ , जिला अलवर को प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है । परिणामस्रूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ , जिला अलवर दिनांक 17.5.2018 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उन्हें मृतक पक्षकारों के वारिसानों को रेकार्ड पर लेकर, उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक को 16.10.2018 को सुनाया गया ।

चित्रा

( चित्रा गुप्ता )
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर